कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय, शाजापुर (म0प्र0)

जिला चिकित्सालय,शाजापुर में मासिक आधार पर वाहन हेतु निविदा

प्रवर्ग – 1

टेंडर – फार्म

मूल्य रूपए 500/– प्रति टेण्डर

//मासिक आधार पर वाहन हेतु तकनिकी निविदा प्रपत्र//
(लिफाफा क्र 1 हेतु तकनिकी निविदा प्रपत्र)

क्र.	विवरण	संलग्न छायाप्रति	
1.	आवेदक – एजेंसी/व्यक्ति का नाम एवं पता		
2.	एजेंसी/व्यक्ति का पैन नम्बर		
3.	एजेंसी/संस्था/व्यक्ति का मोबाईल नंबर		
4.	एजेंसी/संस्था/व्यक्ति का ई–मेल पता		
5.	धरोहर राशि का विवरण एफ.डी.आर. क्रमांक व दिनांक **(प्रति निविदा 25,000/– मासिक आधार के वाहन हेतु)**		
6.	एजेंसी/संस्था/व्यक्ति का अनुभव प्रमाण पत्र		
7.	घोषणा पत्र		

नोटः– **क्रमांक 1** – वाहन 1 जनवरी 2016 के बाद का ही पंजीकृत होना अनिवार्य है।

क्रमांक 2 – निविदाकार निविदा की समस्त शर्तो का अवलोकन करना सुनिश्चि करे, अवलोकन हेतु घोषणा पत्र निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, घोषणा पत्र प्रस्तुत ना करने की स्थिति में निविदा अमान्य मानी जावेगी।

क्रमांक 3 – निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को वाहन से संबंधित एवं सेवा शर्तो में लिखित समस्त दस्तावेज 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, एवं जिला स्तर द्वारा गठित वाहन सत्यापन समिति की अनुशंसा उपरांत ही स्वीकृत निविदाकार से अनुबंध कर आदेश जारी किया जावेगा। 7 दिवस मे वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में व दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि को राजसात कर लिया जावेगा।

क्रमांक 4 – निविदा स्वीकृत होने के उपरांत वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे फिटनेस/बीमा/टेक्सी परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

FORMATE OF RATES

//मासिक आधार पर वाहन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र//
(लिफाफा क्र. 2 हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र)

क्र.	विवरण	वाहन का प्रकार	दर एवं एवरेज
1.	जिला स्तर पर 1 वाहन	जिला स्तर हेतु लक्जरी जीप श्रेणी वाहन। सफारी/बोलेरो/टाटा सूमो/जायलो एवं समतुल्य वाहन।	

नोटः–

1. दर 1500 कि.मी. मय डीजल ड्रायवर के प्रतिमाह हेतु अंकित करे, 1500 कि.मी. से अधिक वाहन चलने पर आपके द्वारा दिये गये एवरेज अनुसार डिजल का वहन कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
2. वाहन का एवरेज 12किमी से कम नहीं होना चाहिए।

//घोषणा पत्र//

मेरें द्वारा निविदा से संबंधित समस्त सेवाशर्ते एवं प्रपत्रों का पूर्ण अध्ययन कर लिया गया है, समस्त सेवाशर्तो के अध्ययन उपरांत ही मैं निविदा शर्तो के अनुरूप वाहन नियम एवं मापदण्डो व सेवाशर्तो के अनुरूप वाहन लगाने हेतु सहमति प्रदान करता हूॅ। अगर मेरे द्वारा निविदा स्वीकृत होने के उपरांत नियत अवधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाते है, तो मेरें द्वारा निविदा प्रस्तुत करने के समय जो धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर. जमा कराया गया है, उसे विभाग राजसात कर सकता है। जिसमें मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

मैं निविदा की समस्त सेवाशर्तो का अध्ययन के उपरांत यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करता हूॅ।

दिनांक .... आवेदक

स्थान ....

नाम एवं हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

// नोट //

निविदा तीन लिफाफा पद्धति के आधार पर प्रस्तुत किये जायें। लिफाफा नं एक (अ) **तकनीकी** में फर्म/संस्था से संबधित तकनीकी दस्तावेज एवं एफडीआर रखे जायेंगे, एवं दूसरे लिफाफे (ब) **वित्तीय** में फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तावित दर रखी जावेगी, एवं तीसरे लिफाफे में अ एवं ब लिफाफे को सील बंद कर जिस निविदा हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है, लिखकर जमा किया जावे।

समस्त निविदाकारों द्वारा अपनी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफों के ऊपर **''जिला चिकित्सालय,शाजापुर में वाहन हेतु मासिक आधार हेतु ''मासिक आधार पर'' निविदा लिखा जावे।''** मोटे अक्षर में लिखा जाना एवं निविदाकार का पूरा नाम/संस्था का नाम तथा मोबाईल नंबर लिखा जाना आवश्यक है तथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफे अलग–अलग प्रस्तुत करें।

जिला स्तर पर कुल वाहनों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला स्तर हेतु आवश्यकता	वाहन की संख्या
01.	जिला स्तर हेतु	1

<u>निविदा की शर्ते निम्नानुसार रहेगी</u> :–

1. मासिक आधार पर लगने वाले वाहन का मासिक किराया निविदा में राज्य स्तर द्वारा निर्धारित राशि रूपयें 25000/– (पच्चीस हजार रूपयें मात्र)/जिलें हेतु स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना में स्वीकृत राशि (1500 कि.मी. संचालन सहित) से अधिक की निविदा मान्य नहीं की जायेंगी।
2. 1500 किमी से अधिक वाहन चलने पर आपके द्वारा दिये गये एवरेज अनुसार डीजल का वहन कार्यालय द्वारा किया जावेगा।
3. मासिक आधार पर लगने वाले वाहन में एजेंसी/व्यक्ति को विगत 3 वर्षो में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में 12 माह का वाहन संचालन का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव के संबंध में तकनिकी निविदा प्रपत्र के साथ अनुभव प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
4. निविदाकार को समस्त वाहन ए.सी. सहित प्रदाय करना होगा, बिना ए.सी. वाहन के निविदाकार के साथ निविदा स्वीकृत होने के उपरांत अनुबंध नहीं किया जायेगा।
5. एक वाहन जिला चिकित्सालय,शाजापुर को 24X7 मय वाहन चालक के उपलब्ध कराना होगी।
6. वाहन में खराबी आने अथवा वाहन की सर्विसिंग आदि होने पर तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। एक दिन वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में 2 दिवस का भुगतान काटा जावेगा।
7. वाहन चालक की अनुपस्थिति की दशा में भी 2 दिवस का भुगतान काटा जावेगा।

7. जिस निविदाकार की निविदा प्रथम न्यूनतम पायी जावेगी उसे जिला स्तर पर वाहन उपलब्ध कराना होंगे अन्यथा की स्थिति में द्वितीय निविदा कार को वाहन हेतु स्वीकृत किया जावेगा एवं प्रथम निविदाकार को निरस्त माना जावेगा।

8. जिन निवदाकारों की तकनीकी निवदायें स्वीकृत होंगी उन्ही की वित्तीय निविदायें खोली जावेंगी। निविदा की अंतिम स्वीकृत न्यूनतम दर ही मान्य होगी।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय,शाजापुर

//अनुबंधित किये जाने वाले वाहन संबंधी सेवाशर्त//

01. वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम (साफ्टवेयर इंस्टूमेंट मेंटेनेंस कास्ट) द्वितीय पक्षकार द्वारा लगायी जावेगी। साथ ही निविदाकार को वाहन में लगाये गये जी.पी.एस. का आई.डी. पासवर्ड जिला कार्यालय एवं विकासखण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराने के साथ साथ निविदाकार द्वारा जिस कंपनी का जी.पी.एस. लगाया जायेगा, उसका डाटा 6 माह तक उनके संबंधित कंपनी के सर्वर पर प्रदर्शित होना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता होने पर एवं वरिष्ठ कार्यालय द्वारा वाहन के जी.पी.एस. के चलाने संबंधि जॉच के समय उपलब्ध कराया जा सके।

02. वाहन 01 जनवरी 2016 के बाद वाहन पंजीकृत हो।

03. वाहन के पूर्ण बीमा, टेक्सी परमीट, कोटे में पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र आदि होना अनिवार्य है।

04. वाहन की सत्त मानिटरिंग हेतु वाहन में जी.पी.एस. व्यवस्था अनिवार्य होगी। जिसके आधार पर जी.पी. एस. मानिटरिंग की जावेगी।

05. वाहन के संचालन एवं संधारण संबंधी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टेक्स, आईल आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वहन किया जावेगा।

06. वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ–सफाई व आवश्यक रखरखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा। नियमित जांच हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी।

07. वाहन संचालक को सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,शाजापुर द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना द्वितीय पक्षकार का प्रथम दायित्व होगा।

08. जिला अधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य संस्था से आकस्मिक सेवा प्रदान करना होगी।

09. अधिकारी द्वारा वाहन से संपर्क करने की स्थिति में वाहन चालक को प्रति उत्तर देने के की जवाबदेही होगी।

10. वाहन चालक को मोबाईल प्रदान करते हुए मोबाईल नंबर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,शाजापुर के कार्यालय में उपलब्ध कराना द्वितीय पक्षकार की जवाब देही होगी। जिससे वाहन चालक से संपर्क स्थापित किया जा सकें।

11. वाहन चालक की व्यवस्था द्वितीय पक्षकार द्वारा की जावेगी एवं वाहन चालक के पास वैध लायसेंस होना अनिवार्य है तथा उसे न्यूनतम दसवी उत्तीण होना अनिवार्य है। द्वितीय पक्षकार द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिये नियोक्ता द्वितीय पक्षकार ही होगा, प्रथम पक्षकार पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। द्वितीय पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्षकार द्वारा नियोक्ता नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। द्वितीय पक्षकार का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जप्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार का होगा। वाहन चालक को शासन के निर्देश अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

12. अनुबंधित किये जाने वाले वाहन का टेक्सी परमिट होना अनिवार्य है। त्रैमासिक परमिट जारी होने की स्थिति में अनुबंध अवधि में समय–समय पर परमिट के रिनिवल कराये जाने की जवाबदेही द्वितीय पक्षकार की होगी।

13. वाहन को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्षकार को करनी होगी। इस अवधि में वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा।

14. अधिकारी/कर्मचारियों को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में संपूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्षकार का होगा। प्रथम पक्षकार इसके लिये किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

15. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

16. द्वितीय पक्षकार द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।

17. अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई विवाद होने की स्थिति में विवाद के निपटारे हेतु मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल म.प्र. के प्राधिकृत अधिकारी होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

18. द्वितीय पक्षकार से यह अनुबंध प्रथमतः दिनांक 31 मार्च 2018 तक के लिये किया जावेगा राज्य स्तर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत अनुबंध की सेवा 6 माह के लिये बढ़ाई जा सकेगी एवं आवश्यकता होने पर जिला स्वास्थ्य समिति जिला शाजापुर के अनुमोदन से 1 वर्ष ओर बढायी जा सकेगी। कार्य आगे न करने की स्थिति में उभय पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त

किया जा सकेगा। इस स्थिति में निविदा में प्राप्त द्वितीय न्यूनतम दर के आधार पर कार्य निरंतर रखा जा सकता है तथा इस हेतु देय आधिक्य राशि की वसूली द्वितीय पक्षकार से की जा सकेगी।

19. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रूपये 1500/– प्रतिदिन की दर से या वास्तविक हानि के अनुपात से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रदाय सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्षकार से इस संबंध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि भी जप्त की जा सकेगी।

20. राज्य स्तर पर इंटीग्रेटेड परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है जिसमें मोबिलिटी सपोर्ट वाहन योजना अंतर्गत संचालित वाहनों को भी सम्मलित किया जाएगा। व्यवस्था लागू होने पर इंटीग्रेटेड परिवहन की शर्तो (भुगतान आदि) को द्वितीय पक्षकार को मान्य करना होगा।

21. निविदाकार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र 100/–रूपये के स्टॉम्प पर नोटरी अधिकारी से प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि –

- मेरा कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है तथा मैं अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक कृत्य में संलग्न होतो हूॅ अथवा मुझ पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही होती है तो मेरा अनुबंध स्वतः निरस्त मान्य होगा।
- मैं अथवा मुझे पर आश्रित परिवारजन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत् नहीं है।

22. निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु धरोहर राशि के रूप में प्रति निविदा 15,000/– रूपये का एफ.डी.आर रोगी कल्याण समिति,जिला चिकित्सालय,शाजापुर के नाम देय बनाकर निविदा प्रस्तुत करने के समय तकनिकी प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य है, जो कि निविदा स्वीकृत ना होने की स्थिति में वापसी योग्य होगा।

23. निविदाकार को निविदा में चयनित होने के उपरांत मासिक आधार पर लगाये जाने वाले हेतु 15,000/– का एफ.डी.आर. रोगी कल्याण समिति,जिला चिकित्सालय,शाजापुर के नाम देय होगा, जो कि धरोहर राशि के रूप में निविदाकार से अनुबंध समाप्ति तक रखा जावेगा।

24. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में अनुबंध अनुसार वाहन मालिक के द्वारा मासिक देयक प्रस्तुत करने के उपरांत राज्य स्तर से राशि प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। इस अवधि के दौरान वाहन मालिक के द्वारा वाहन बंद/उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

25. अनुबंधित किये जाने वाले वाहनों के देयकों का भुगतान जी.पी.एस./लॉगबुक दोनों में से जो कम हो के आधार पर संबधित जिम्मेदार अधिकारी के भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जावेगा एवं जी.पी.एस. को चालू रखे जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही द्वितीय पक्षकार की होगी।

26. मासिक आधार पर निविदा में चयनित फर्म को वाहन कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,शाजापुर को 24x7 के मान से उपलब्ध कराना होगें, वाहन तकनिकी खराबी होने व सर्विसिंग पर होने की स्थिति में निविदाकार को अन्य वाहन उक्त वाहन के बदले प्रदाय करना होगा, तथा वाहन सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय,शाजापुर के आधिपत्य में होगें, उन्हें किसी भी स्थिति में निविदा समाप्त होने तक निविदाकार को स्वास्थ्य संस्था से ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उक्त स्थिति होने पर वाहन की धरोहर राशि राजसात की जाकर निविदा निरस्त करते हुए एल – 2 निविदाकार को कार्यादेश जारी कर दिया जावेगा।

27. **उक्त समस्त शर्तो का पालन किये जाने की स्थिति में जिला स्तर द्वारा गठित वाहन सत्यापन समिति की अनुशंसा पर पास होने वाले निविदाकार का अनुबंध किया जावेगा उक्त शर्तो में कमी पाये जाने की स्थिति में अनुबंध निष्पादित नहीं किया जावेगा।**

दिनांक .... आवेदक (द्वितीय पक्षकार)

स्थान ....

नाम एवं हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित